

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 188/2017

विक्रमजीत पुत्र बलदेवसिंह जाति सैनी निवासी 4 डी.डी.सी तहसील घड़साना जिला
श्रीगंगानगर।

—अपीलार्थी

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र चैनाराम जाति जाट निवासी 4 डी.डी.सी तहसील घड़साना जिला
श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार घड़साना।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ. 1955

विरुद्ध आदेश उपखंड अधिकारी घड़साना

दिनांक 30.11.2017

उपस्थित:—

श्री राजेश कुमार गुम्बर अभिभाषक अपीलार्थी

श्री अवरिन्द्रसिंह अरोड़ा अभिभाषक रेस्पो.

श्री इकबालसिंह सिद्धु राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 23.01.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र उपखंड अधिकारी घड़साना के समक्ष रा.का.अ. की धारा 251ए के तहत पेश कर कथन किया कि उसको अपनी भूमि में जाने हेतु चक 4 डी.डी. सी के प.नं. 145/13 मु.नं. 32 के कि.नं. 1 में दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जावे। प्रार्थना का जबाव अप्रार्थी/रेस्पो. ने पेश कर कथन किया प्रार्थी को अपनी भूमि में जाने हेतु रास्ता दिया हुआ है। प्रार्थी ने रंजिशवश प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

सुनवाई कर अधी.न्यायालय ने दिनांक 30.11.2017 को प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

23/1/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र एवं अपील नमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को अपनी भूमि में जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अधी.न्यायालय ने रेकार्ड के विपरीत जाकर आदेश पारित किया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए रास्ता स्वीकृत किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट को अपनी भूमि में जाने हेतु रास्ता उपलब्ध है फिर भी उसके द्वारा रास्ता लेने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। अधी. न्यायालय ने रेकार्ड के अवलोकन के पश्चात प्रार्थना पत्र खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी. न्यायालय उपखंड अधिकारी घड़साना के निर्णय दिनांक 30.11.2017 के विरुद्ध पेश की है जिसमें अपीलांट को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिए रेस्पो. की खातेदारी भूमि में से रास्ते की आवश्यकता होने पर रास्ता स्वीकृति करने का आवेदन अधी.न्यायालय द्वारा खारिज किया है जबकि अपीलांट को Absolute necessity होने से रास्ता स्वीकृत व अधी. न्यायालय का आदेश अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। यह निर्विवाद है कि अपीलांट की कृषि भूमि है परन्तु अधी.न्यायालय द्वारा यह विवेचन कि हल्का पटवारी द्वारा रास्ता बाबत विस्तृत उल्लेख नहीं किया तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट कि किसी वैकल्पिक रास्ते का उल्लेख नहीं किया, ना ही अपीलांट ने कोई सबूत पेश किया जिससे जाहिर होता है कि प्रार्थी प्रार्थना में चाहे गये रास्ते से खेत में आता जाता है, निर्णय की इबारत पढ़ने से प्रतीत होता है कि पीठसीन अधिकारी द्वारा जो निर्णय किया है वह विभाग में Pre-set था यथा आवेदन खारिज ही करना है जैसा कि समस्त विवेचन नियम विरुद्ध किया है। रास्ते का आवेदन रा.का.अ. 1955 की

23/11/18
राजस्व अपास्त प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

धारा 251ए में दिये जाने के प्रावधान है जिसके Bare-reading है कि "251-A. Laying of underground pipeline or opening a new way through another khatedar's holding or enlarging the existing way.— (1) Where—(a) a tenant intends to lay an underground pipeline through the holding of another khatedar for the purpose of irrigation of his holding; or (b) a tenant or a group of tenants intend to have a new way, or enlargement or widening of an existing way, through the holding of another khatedar to have access to his holding or, as the case may be, their holdings— and the matter is not settled by mutual agreement, the tenant or the tenants, as the case may be, may apply for such facility to the Sub-Divisional Officer concerned, and the Sub-Divisional Officer, if he is satisfied after a summary inquiry, that—

- (i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and
- (ii) (ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is proved— may, be order, allow the applicant, to lay pipeline, at least three feet beneath the surface of the land, along the line demar-cated or pointed out by the tenant who holds that land, or to have a new way, not wider than thirty feet, through the land on such track as pointed out by the tenant who holds that land, and if no such track is pointed out, through the shortest or nearest route, or to enlarge or widen the existing way, not exceeding up to thirty feet, on payment of such compensation as may be determined by the Sub-Divisional Officer, in the prescribed manner, to the tenant who holds the land through which the right to lay pipeline or have a new way, or enlarge or widen an existing way is granted.
- (2) Where a right to have a new way or enlarge or widen an existing way is granted under sub-section (1), the tenancy in respect of the land comprising such way shall be deemed to have been extinguished and the land shall be recorded as rasta in the revenue records.
- 3) The persons permitted to avail any of the facilities referred to in sub-section (1) shall not, by virtue of the said facility, acquire any other right in the holding through which such facility is granted."

उपरोक्त विधि के प्रावधानुसार अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया। इस सम्बन्ध में धारा 251ए की क्रियान्वति हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम 2012 के नियम 68 में प्रावधान निहित है जो आवेदन प्राप्त होने पर

22/1/18
राजस्व अपाल प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

subsequent नियम 69 में प्रार्थना पत्र की जांच व आवेदन के निस्तारण की प्रक्रिया एवं विवेचन के आज्ञापक प्रावधान दिये हैं जिसमें उपखंड अधिकारी स्वयं या ऐसे अधिकारी से मौका निरीक्षण करवायेगा जो भूअभिलेख निरीक्षक से नीचे की रैंक का नहीं होगा। अतः पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार बनाकर आवेदन खारिज करना नियम विरुद्ध है जबकि अधी.न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 25 पर तहसीलदार घड़साना की रिपोर्ट क्रमांक रीडर/2017/918 दिनांक 09.10.2017 उपलब्ध है जिसमें अपीलांत द्वारा आवेदित रास्ता स्वीकृत करने की अभिशंषा की है जिसे अधी. न्यायालय द्वारा Ignore किया है विधि सम्मत नहीं है।

उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया, अपीलांत के अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में जाहिर किया कि अधी.न्यायालय द्वारा न केवल नियम विरुद्ध आवेदन खारिज किया है अपितु विधि अनुसार प्रकरण हाजा के लिए जो प्रक्रिया निर्धारित की है, उसकी पालना न कर अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया है। अतः अपीलाधीन आदेश को निरस्त कर पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड अनुसार रास्ता स्वीकृत करने का अनुरोध किया।

रेसपो. के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में जाहिर किया कि अपीलांत जिस कृषि भूमि में रास्ता मांग रहा है वह कृषि भूमि अपीलांत की नहीं है जिसका प्रतिकार करते हुए अपीलांत के अधिवक्ता ने अधी. न्यायालय की पत्रावली का पृष्ठ संख्या 28 दिखाया जिसमें अपीलांत का संयुक्त खाता में नाम दर्ज होने तथा सन्दर्भ नजरी नक्शा पृष्ठ 27 भी बताया जिसमें आवेदित रास्ता अपीलांत विक्रमजीतसिंह के हिस्से में आने के लिए दर्शाया है। अतः रेसपो. का कथन रेकार्ड से परे होना जाहिर किया।

पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का विश्लेषण के, उभय पक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि :-

1. अपीलांत को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिए नियम 69(1)के प्रावधानुसार Absolute necessity है।

[Handwritten Signature]
23/1/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)



2. पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार घड़साना की रिपोर्ट 09.10.2017 की अभिशंषा मानने योग्य होकर रास्ता स्वीकृत योग्य है।
3. चूंकि रास्ता स्वीकृत योग्य है। अतः उपरोक्त नियमों के नियम 70(i)(ii)(a) के प्रावधानुसार रास्ते के लिए आवेदित भूमि के बदले डीएलसी की दर का दुगुना मुआवजा स्वीकृत योग्य तथा साथ ही अगर लागू हो तो नियम 70(2)की पालना की जाये।

उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 3 के विवेचन अनुसार अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाकर अपीलांत द्वारा आवेदित रास्ता स्वीकृत किया जाकर तहसीलदार घड़साना को निर्देशित किया जाता है कि रास्ता की भूमि के बदले उपरोक्त सन्दर्भ नियमों के प्रावधानुसार मुआवजा राशि रेस्पो. को दिलवाये।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(प्रमराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर